Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- टोंक में पटवारी 30 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, *14 फरवरी, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर टोंक इकाई द्वारा आज टोंक में कार्यवाही करते हुये राजेश गोठवाल, पटवारी हल्का–सिन्धौलिया तहसील मालपुरा जिला टोंक को परिवादी से 30 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की टोंक इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि ग्राम रूपाहेली में कुल 5 बीघा 13 बीस्वा जमीन खरीदी थी, जिसका नामान्तरण खुल चुका है तथा हम तीन पार्टनर के बीच बंटवारा हो जाने के उपरान्त तरमीम करवाने हेतु आदेश होने के पश्चात् भी हल्का पटवारी श्री राजेश गोठवाल द्वारा तरमीम करने की एवज में 1 लाख रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी टोंक इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आहद खान** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम टोंक में ट्रेप कार्यवाही करते हुये **राजेश गोठवाल** पुत्र श्री कल्याणमल निवासी टोरडी तहसील मालपुरा जिला टोंक हाल **पटवारी, पटवार हल्का सिन्धौलिया** तहसील मालपुरा जिला टोंक को परिवादी से **30 हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की *टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064 *एवं* ***Whatsapp*** *हैल्पलाईन नं.* 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।